सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 22)

[23 मई, 2002]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए या उनके भिन्न-भिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

धारा 39 का संशोधन।

1908 का 5

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 39 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित की है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिक्री को, किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करती है।"।

धारा 64 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 64 को, उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) इस धारा की कोई बात, कुर्क की गई संपत्ति या उसमें किसी हित के किसी ऐसे प्राइवेट अंतरण या परिदान को लागू नहीं होगी, जो कुर्की से पहले ऐसे अंतरण या परिदान की किसी संविदा के अनुसरण में किया गया हो और रजिस्ट्रीकृत हो।"।

धारा 100क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

1999 का 46

4. मूल अधिनियम की धारा 100क के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 10 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कुछ मामलों में आगे अपील का न होना।

"100क. किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पैटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश की अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री की आगे कोई अपील नहीं होगी।"।

धारा 102 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 102 के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 11 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 1999 का 46

कुछ मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना।

"102. किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय-वस्तु पच्चीस हजार रुपए से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं है।"।

आदेश 5 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहली अनुसूची कहा गया है) आदेश 5 में,—

(i) नियम 1 के उपनियम (1) के स्थान पर [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 15 के खण्ड (i) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

"(1) जब वाद सम्यक् रूप में संस्थित किया जा चुका हो तब, उस प्रतिवादी के नाम, समन के तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने तथा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो, फाइल करने के लिए, समन निकाला जा सकेगा:

परंतु जब प्रतिवादी, वाद-पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाए और वादी का दावा स्वीकार कर ले तब ऐसा कोई समन नहीं निकाला जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रतिवादी, तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु जो समन के तामील की तारीख से नब्बे दिन के बाद का नहीं होगा।";

(ii) नियम 9 के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 15 के खण्ड (v) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:— 1999 का 46

न्यायालय द्वारा समन का परिदान।

"9. (1) जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है या उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है, वहां समन जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे या तो उचित अधिकारी को, उसके या उसके अधीनस्थों में से एक द्वारा या ऐसी कूरियर सेवा को, जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, तामील किए जाने के लिए परिदत्त किया जाएगा या भेजा जाएगा।

(2) उचित अधिकारी, उस न्यायालय से भिन्न, जिसमें वाद संस्थित किया गया है, किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां समन उसे ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निदेश दे।

(3) समन की तामील, प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसी कूरियर सेवा द्वारा, जो उच्च न्यायालय या उपनियम (1) में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित दस्तावेजों के पारेषण के किसी

अन्य साधन द्वारा (जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा भी है) उसकी एक प्रति के परिदान या पारेषण द्वारा की जा सकेगी:

परंतु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है और न्यायालय यह निदेश देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए, जैसा कि उपनियम (3) में निर्दिष्ट है (रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न), वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(5) जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य रसीद, जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्यित है, न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा ऐसी डाक वस्तु, जिसमें समन है, न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त की जाती है जिस पर डाक कर्मचारी या कूरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन तात्पर्यित है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने, जब समन उसे भेजे गए या पारेषित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का परिदान लेने से इन्कार कर दिया था जिसमें समन थे अथवा उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से समन लेने से इंकार कर दिया था, तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक् रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिए गए हैं:

परंतु जहां समन उचित रूप में पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर-उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए कूरियर अभिकरणों का एक पैनल तैयार करेगा।

तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना।

9क. (1) न्यायालय, नियम 9 के अधीन समन की तामील के अतिरिक्त, वादी के आवेदन पर, प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए समन जारी करने के लिए ऐसे वादी को ऐसे समनों की ऐसे प्रतिवादी पर तामील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे किसी मामले में ऐसे वादी को तामील के किए समन का परिदान करेगा।

(2) न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित ऐसे समनों की तामील, ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक प्रति वैयक्तिक रूप से प्रतिवादी को देकर या निविदान करके की जाएगी या तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम (3) में उल्लिखित है।

(3) नियम 16 और नियम 18 के उपबंध इस नियम के अधीन वैयक्तिक रूप से तामील किए गए समनों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति तामील करने वाला अधिकारी था।

(4) यदि ऐसे समनों को, उनके निविदत्त किए जाने पर, प्राप्त करने से इंकार किया जाता है या यदि तामील किया गया व्यक्ति तामील की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है या किसी कारणवश ऐसा समन व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय, पक्षकार के आवेदन पर, न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील की जाने वाली रीति से तामील किए जाने के लिए समनों को पुन: जारी करेगा।"।

आदेश 6 का संशोधन।

7. पहली अनुसूची में आदेश 6 के नियम 17 और नियम 18 के स्थान पर [जैसे कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 16 के खंड (iii) द्वारा उनके लोप किए जाने के ठीक पहले विद्यमान थे] निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:— 1999 का 46

अभिवचनों का संशोधन।

"17. न्यायालय, दोनों में से किसी भी पक्षकार को, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हों, परिवर्तित करे

या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों:

परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

आदेश के पश्चात् संशोधन करने में असफल रहना।

18. यदि कोई पक्षकार, जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर या यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है तो आदेश की तारीख से चौदह दिन के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता है तो जब तक कि न्यायालय द्वारा समय न बढ़ा दिया जाए उसे, यथास्थिति, यथापूर्वोक्त परिसीमित समय के या ऐसे चौदह दिन के अवसान के पश्चात् संशोधन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।''।

आदेश 7 का संशोधन।

8. पहली अनुसूची में आदेश 7 के,—

(i) नियम 9 के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 17 के खंड (i) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

वादपत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया।

''9. जहां न्यायालय यह आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समनों की तामील आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित रीति से की जाए वहां वह, वादी को निदेश देगा कि वह ऐसे आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर सादा कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियां, जितने कि प्रतिवादी हैं, प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करे।'';

(ii) नियम 11 में, उपखंड (च) और (छ) के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 17 के खंड (ii) द्वारा यथा अंत:स्थापित] निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

''(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।'';

(iii) नियम 14 में, उपनियम (3) के स्थान पर [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 17 के खंड (iii) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

''(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है, या वाद पत्र में जोड़ी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किंतु तद्नुसार, प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय की इजाजत के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।'';

(iv) नियम 18 [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 17 के खंड (v) द्वारा यथासंशोधित] का लोप किया जाएगा।''। 1999 का 46

आदेश 8 का संशोधन।

9. पहली अनुसूची में, आदेश 8 के,—

(i) नियम 1 के स्थान पर [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 18 के खंड (i) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

लिखित कथन।

''1. प्रतिवादी, उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां प्रतिवादी उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को जो, न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु जो समन की तामील की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् का नहीं होगा।'';

(ii) नियम 1क में, उपनियम (3) के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 18 के खंड (ii) द्वारा यथा अंत:स्थापित] निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

"(3) ऐसा दस्तावेज, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय की इजाजत के बिना, वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।";

(iii) नियम 9 और नियम 10 के स्थान पर [जैसे कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 18 के खंड (iii) द्वारा उनके लोप से ठीक पहले विद्यमान थे] निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:— 1999 का 46

"9. प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात् कोई भी अभिवचन, जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायालय ठीक समझे, उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, किन्तु न्यायालय, पक्षकारों में किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए तीस दिन से अनधिक का समय नियत कर सकेगा। पश्चात्वर्ती अभिवचन।

10. जहां ऐसा कोई पक्षकार, जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित किया गया है, उसे, न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय, उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात् डिक्री तैयार की जाएगी।"। जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया।

10. पहली अनुसूची में, आदेश 9 के नियम 2 के स्थान पर, [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 9 के खंड (i) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46 आदेश 9 का संशोधन।

"2. जहां ऐसे नियत दिन को यह पाया जाए कि प्रतिवादी पर समन की तामील इसलिए नहीं हुई है कि वादी न्यायालय फीस या डाक महसूल, यदि कोई हो, जो ऐसी तामील के लिए प्रभारणीय है, देने में असफल रहा है या आदेश 7 के नियम 9 द्वारा अपेक्षित वादपत्र की प्रतियां उपस्थित करने में असफल रहा है वहां न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वाद खारिज कर दिया जाए: जहां समनों की तामील, खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणाम-स्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना।

परंतु ऐसी असफलता के होते हुए भी, यदि प्रतिवादी उस दिन, जो उसके उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए नियत है, स्वयं या जब वह अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात है, अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात हो जाता है तो ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।"।

11. पहली अनुसूची के आदेश 14 में, नियम 5 के स्थान पर, [जैसा कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 24 के खंड (ii) द्वारा इसके लोप किए जाने से ठीक पहले विद्यमान था] निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46 आदेश 14 का संशोधन।

"5. (1) न्यायालय, डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, विवाद्यकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और ऐसे सभी संशोधन या अतिरिक्त विवाद्यक, जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों के अवधारण के लिए आवश्यक हों, इस प्रकार संशोधित किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे। विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति।

(2) न्यायालय, डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे किन्हीं विवाद्यकों को काट सकेगा जिनके बारे में उसे प्रतीत होता है कि वे गलत तौर पर विरचित या पुरःस्थापित किए गए हैं।"।

12. पहली अनुसूची में, आदेश 18 में,— आदेश 18 का संशोधन।

(क) नियम 2 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(3क) कोई पक्षकार, किसी मामले में मौखिक बहस कर सकेगा और वह मौखिक बहस, यदि कोई हो, समाप्त करने के पहले न्यायालय को, यदि न्यायालय ऐसा अनुज्ञात करे, अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप में और सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन लिखित बहस प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसी लिखित बहस अभिलेख का भाग होगी।

(3ख) ऐसी लिखित बहस की एक प्रति विरोधी पक्षकार को भी साथ ही साथ दी जाएगी।

(3ग) लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा स्थगन मंजूर करना

(3घ) न्यायालय, किसी मामले में दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा मौखिक बहस के लिए ऐसी समय सीमाएं नियत करेगा जैसा वह ठीक समझे।";

(ख) नियम 4 के स्थान पर [सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 27 के खंड (ii) द्वारा यथा प्रतिस्थापित] निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1999 का 46

साक्ष्य का अभिलेखन।

"4. (1) प्रत्येक मामले में किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र पर की जाएगी और उसकी प्रतियां विरोधी पक्षकार को उस पक्षकार द्वारा, जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाता है, दी जाएंगी:

परंतु जहां दस्तावेज फाइल किए गए हों और पक्षकार उन दस्तावेजों पर निर्भर करते हों, वहां शपथ-पत्र के साथ फाइल किए गए ऐसे दस्तावेजों का सबूत और ग्राह्यता न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए होगी।

(2) हाजिर उस साक्षी का साक्ष्य (प्रति परीक्षा और पुन: परीक्षा), जिसका शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य (मुख्य परीक्षा) न्यायालय को दिया गया है या तो न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, इस उपनियम के अधीन कमीशन नियुक्त करते समय ऐसे सुसंगत कारणों पर, जो वह ठीक समझे, विचार करेगा।

(3) यथास्थिति, न्यायालय या कमिश्नर, साक्ष्य को, यथास्थिति, न्यायाधीश या कमिश्नर की उपस्थिति में या तो लिखित रूप से या यांत्रिक रूप से अभिलिखित करेगा और जहां ऐसा साक्ष्य कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाता है, वहां वह ऐसे साक्ष्य को अपनी लिखित और हस्ताक्षरित रिपोर्ट सहित उसे नियुक्त करने वाले न्यायालय को वापस करेगा और उसके अधीन लिया गया साक्ष्य वाद के अभिलेख का भाग होगा।

(4) कमिश्नर परीक्षा के समय किसी साक्षी की भावभंगी की बाबत ऐसे टिप्पण लेखबद्ध करेगा जो वह तात्त्विक समझे:

परन्तु कमिश्नर के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा बहस के प्रक्रम पर विनिश्चित किए जाएंगे।

(5) कमिश्नर की रिपोर्ट, कमीशन निकाले जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर कमीशन नियुक्त करने वाले न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी सिवाय तब के जब न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, समय का विस्तार न कर दे।

(6) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, इस नियम के अधीन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए कमिश्नरों का एक पैनल तैयार करेगा।

(7) न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कमिश्नर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में संदत्त की जाने वाली रकम नियत कर सकेगा।

(8) आदेश 26 के नियम 16, 16क, 17 और 18 के उपबंध, वहां तक जहां तक वे लागू होते हैं, इस नियम के अधीन ऐसे कमीशन को निकालने, उसके निष्पादन और वापसी को लागू होंगे।"।

आदेश 20 का संशोधन।

13. पहली अनुसूची में, आदेश 20 के नियम 1 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) न्यायालय, मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरन्त या तत्पश्चात् यथासाध्य शीघ्र सुनाएगा और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी:

परन्तु जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया गया है वहां न्यायालय, उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थीं, तीस दिन के भीतर निर्णय, सुनाने का पूरा प्रयास करेगा किन्तु जहां मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है वहां न्यायालय, निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणत:, उस तारीख से, जिसको मामले

की सुनवाई समाप्त हुई थी, साठ दिन के बाद का नहीं होगा और इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी।''।

14. पहली अनुसूची में, आदेश 21 में,— आदेश 21 का संशोधन।

(क) नियम 32 के उपनियम (5) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि ''वह कार्य, जिसके किए जाने की अपेक्षा की गई थी'' के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक तथा आज्ञापक आदेश आते हैं।';

(ख) नियम 92 के उपनियम (2) में—

(i) ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पहले परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि इस उपनियम के अधीन निक्षेप, उन सभी मामलों में जहां तीस दिन की अवधि जिसके भीतर निक्षेप किया जाना था, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पहले समाप्त नहीं हुई है साठ दिन के भीतर किया जा सकेगा।''।

1999 का 46

15. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 में,— सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 का संशोधन।

(क) धारा 30 का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 32 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (छ) और खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ञ) इस अधिनियम की धारा 15 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 6 द्वारा, यथास्थिति, संशोधित या प्रतिस्थापित या लोप किए गए रूप में, पहली अनुसूची के आदेश 5 के नियम 1, 2, 6, 7, 9, 9क, 19क, 21, 24 और 25 के उपबंध इस अधिनियम की धारा 15 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के प्रारंभ से पूर्व लंबित किसी कार्यवाही की बाबत लागू नहीं होंगे;'';

(iii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ट) इस अधिनियम की धारा 17 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 8 द्वारा, यथास्थिति, संशोधित या प्रतिस्थापित या लोप किए गए रूप में पहली अनुसूची के आदेश 7 के नियम 9, 11, 14, 15 और 18 के उपबंध इस अधिनियम की धारा 17 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 8 के प्रारंभ से पूर्व लंबित किसी कार्यवाही की बाबत लागू नहीं होंगे;'';

(iv) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ठ) इस अधिनियम की धारा 18 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 9 द्वारा, यथास्थिति, प्रतिस्थापित या अन्त:स्थापित या लोप किए गए रूप में पहली अनुसूची के आदेश 8 के नियम 1, 1क, 8क, 9 और 10 के उपबंध इस अधिनियम की धारा 18 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 9 के प्रारंभ से पूर्व फाइल किए गए और उपस्थित किए गए लिखित कथन को लागू नहीं होंगे;'';

(v) खंड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(थ) इस अधिनियम की धारा 24 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 11 द्वारा, यथास्थिति, संशोधित या प्रतिस्थापित रूप में पहली

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 11 के प्रारंभ से पूर्व विवाद्यकों की विरचना और विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काटे जाने को आस्थगित करने वाले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को प्रभावित नहीं करेंगे;";

(vi) खण्ड (ध) में, दोनों स्थानों पर, अंक "25", के स्थान पर अंक "26" रखे जाएंगे;

(vii) खंड (प) का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

16. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले किसी राज्य विधान-मंडल या उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिनियम में किया गया कोई संशोधन या अंत:स्थापित किया गया कोई उपबंध, वहां तक के सिवाय जहां तक ऐसा संशोधन या उपबंध इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों से संगत है, निरसित हो जाएगा।

(2) इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के उपबंध उपधारा (1) के अधीन प्रवृत्त हो चुके हैं या निरसित हो गए हैं और साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,— 1897 का 10

(क) इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 102 के उपबंध किसी ऐसी अपील को लागू नहीं होंगे या उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे जो धारा 5 के प्रारंभ के पूर्व ग्रहण कर ली गई थी, और ऐसी प्रत्येक अपील का इस प्रकार निपटारा किया जाएगा मानो धारा 5 प्रवर्तन में ही नहीं आई थी;

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 16 और इस अधिनियम की धारा 7 द्वारा, यथास्थिति, लोप किए गए या अंत:स्थापित या प्रतिस्थापित रूप में पहली अनुसूची के आदेश 6 के नियम 5, 15, 17 और 18 के उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 16 तथा इस अधिनियम की धारा 7 के प्रारंभ से पूर्व फाइल किए गए किसी अभिवचन की बाबत लागू नहीं होंगे; 1999 का 46

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 द्वारा यथा संशोधित पहली अनुसूची के आदेश 20 के नियम 1 के उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां मामले की सुनवाई इस अधिनियम की धारा 13 के प्रारंभ से पूर्व पूरी हो चुकी थी।